आयोजना 2016-2017 की विशेषताएं
Highlights of Plan 2016-2017

2016-17 के लिए ₹550010 करोड़ की सकल बजटीय सहायता 2015-16 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.26 प्रतिशत और बजट अनुमानों (2015-16) की तुलना में 18.2% अधिक है। इससे एक ओर अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को आगे और अधिक बढ़ावा देने तथा दूसरी ओर विकासात्मक क्रियाकलापों पर व्यय और विशेषकर कृषि क्षेत्रक, सामाजिक कल्याण क्षेत्रों तथा रोजगार सृजन क्षेत्र में व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करने में सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। 2016-17 का आयोजना प्राक्कलन केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के यौक्तिकीकरण हेतु गठित मुख्यमंत्रियों के उपसमूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संशोधित वित्तपोषण पैटर्न के आधार पर लगाया जाना है। सरकार के निर्णय के अनुसार, 'कोर ऑफ द कोर' स्कीमों के रूप में परिभाषित अनेक स्कीम के संबंध में मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसी स्कीमों की एक सूची अनुबंध 'क' पर भी संलग्न है। कोर स्कीमें जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में भी शामिल की गई हैं, से संबंधित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार वित्तपोषण की राशि का केंद्र और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात (8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालय क्षेत्रीय राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात) में साझा किया जाएगा। ऐसी स्कीमों की एक सूची अनुबंध 'ख' पर दी गई है। यदि उपर्युक्त सूची में शामिल की गई किसी स्कीम/उप-स्कीम में 60:40 से कम का केंद्रीय वित्तपोषण पैटर्न अपनाया जाता हो तो मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न को जारी रखा जाएगा। अन्य सभी स्कीमें (जिनका अनुबंध क और ख में उल्लेख नहीं किया गया है) राज्य सरकारों के लिए वैकल्पिक होंगी तथा उनका केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषण पैटर्न 50:50 के अनुपात (8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालय क्षेत्रीय राज्यों के लिए 80:20 के अनुपात) में होगा।

The Gross budgetary support for 2016-17 at ₹550010 cr, shows an increase of 15.26% over the Revised Estimates of 2015-16, and 18.2% over BE 2015-16. It reflects the Government's commitment to further boost Public investment in Infrastructure on the one hand and provide sufficient allocation for development expenditure, particularly in of agriculture Sector, areas of social welfare and employment generation. The Plan estimates of 2016-17 have to be seen in the context of the revised funding pattern on the recommendation of the Sub-group of Chief Ministers on Rationalisation of Centrally Sponsored scheme. As per the decision of Government, the existing funding pattern of Schemes defined as 'çore of the core' schemes have been retained. A list of these schemes is attached at Annexure A. The funding pattern of 'core' schemes, which form part of the National Development agenda, will be shared 60:40 between the Centre and the States (90:10 for the 8 North Eastern and 3 Himalayan states). A list of these schemes is attached at Annexure B. In case a scheme/sub-scheme in the above list has a Central Funding pattern less than 60:40, the existing funding pattern will continue. The other optional schemes has listed in Annexure 'B' will be optional for the State Governments and their fund sharing pattern will be 50:50 between the Centre and the States (80:20 for the 8 North Eastern States and 3 Himalyan States.

(₹ करोड़)

रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- 38500 वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को राजी हों को 100 दिवस सवेतन रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करने हेतु। 01.04.2008 से ग्रामीण क्षेत्रों वाले सभी जिलों को नरेगा के अंतर्गत लाया गया है।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन (ग्रामीण एवं शहरी)

- 3325 गरीब ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को लाभप्रद स्व-रोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों की पहुंच से सशक्त बनाकर उनकी गरीबी दूर करने हेतु। यह समाज के दुर्बल वर्गों जिनमें अ.जा./अ.ज.जा., महिला, अल्पसंख्यक और निःशक्त व्यक्ति शामिल हैं, को पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेगी।
- 1439 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु।
- 1700 प्रधान मंत्री कौशल विकास योहना हेतु।

आवास

- 20075 प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मकानों के निर्माण तथा कच्चे मकानों को पक्का करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए। घरों के निर्माण के लिए कुल आवंटन की 60% राशि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे अनु.जाति/अनु.ज.जाति के परिवारों के लिए है।

(₹ in Crore)

EMPLOYMENT GENERATION

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

- 38500 for providing a legal guarantee of 100 days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. All the districts covering rural areas have been brought under NREGA with effect from 01.04.2008.

National Livelihood Mission (Rural & Urban)

- 3325 for reducing poverty by enabling the poor Rural and Urban households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities. It would ensure adequate coverage of vulnerable sections of the society including SCs/STs, women, minorities and persons with disabilities.
- 1439 for Prime Minister's Employment Generation Programme.
- 1700 for Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.

HOUSING

- 20075 Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural and Urban) - for providing assistance to rural and urban BPL households for construction of houses and upgradation of kutcha houses. 60% of the total allocation is for construction of houses for BPL families of SCs/STs.

ग्रामीण विकास

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

- 19000 अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए कनेक्ट न हुए पात्र ग्रामीण निवासियों हेतु कनेक्टिविटी की व्यवस्था कराने हेतु। मौजूदा ग्रामीण सड़कों का व्यवस्थित स्तरोन्नयन भी इस स्कीम का अनिवार्य भाग है।
- 5000 सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों में राज्यों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
- 9000 ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान

सिंचाई

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

- 2340 सूक्ष्म कृषि का विकास (प्रति बूंद अधिक फसल)
- 1500 एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रम
- 2000 त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम सहित

कृषि

- 5500 प्रधान मंत्री राष्ट्रीय फसल बीमा योजना
- 5400 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य आयोजना)
- 6949 कृषि उन्नति योजना हेतु

पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी

- 1150 श्वेत क्रांति राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना)
- 450 नील क्रांति (अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी सहित)

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

- 52 भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों के लिए गोदामों के निर्माण हेतु।
- 154 भाण्डागारण क्षमता के निर्माण हेतु।
- 75 सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों के कंप्यूटरीकरण हेतु।

पर्यावरण एवं वन

- 185 हरित भारत मिशनः राष्ट्रीय वनीकरण
- 295 बाघ परियोजना हेतु

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम

- 530 खादी-ग्राम तथा कॉयर उद्योग के विकास हेतु।
- 485 प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा गुणवत्ता प्रमाणन हेतु।
- 351 अवसंरचना विकास कार्यक्रम हेतु।

उपभोक्ता मामले

- 900 मुल्य स्थिरीकरण निधि हेतु।
- 94 उपभोक्ता संरक्षण हेतु।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

- 22500 सर्व शिक्षा अभियान हेतु।
- 9700 स्कूलों में मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु।
- 3700 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु।

उच्चतर शिक्षा

- 5755 तकनीकी शिक्षा हेतु।
- 2050 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु।
- 1300 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु।

महिला एवं बाल विकास

- 15860 एकीकृत बाल विकास सेवाओं हेतु (आईसीडीएस)।
- 500 निर्भया निधि हेतु।
- 400 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम हेतु।
- 307 महिलाओं के संरक्षण तथा सशक्तीकरण हेतु।
- 100 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हेतु।

RURAL DEVELOPMENT

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

- 19000 for providing connectivity to eligible unconnected rural habitations through good all-weather roads. The systematic upgradation of existing rural roads is also an essential component of the scheme.

Rural Drinking Water and Sanitation

- 5000 National Rural Drinking Water Programme for supplementing the States in their effort to provide safe drinking water to all rural habitations.
- 9000 Swachh Bharat Abhiyan for rural sanitation.

IRRIGATION

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana

- 2340 Development of Micro irrigation (per drop more crop).
- 1500 Integration Watershed Development Programme.
- 2000 Accelerated irrigation benefit and flood management programme).

AGRICULTURE

- 5500 for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.
- 5400 for Rashtriya Krishi Vikas Yojana.
- 6949 for Krishi Unnati Yojana.

ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

- 1150 White Revolution (Rashtriya Pashudhan Vikas Yojna)
- 450 Blue Revolution (including inland and marine fisharies).

FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

- 52 for construction of Godowns by Food Corporation of India/State Governments.
- 154 for construction of warehousing capacity.
- 75 for computerization of Public Distribution System operations.

ENVIRONMENT AND FORESTS

- 185 for Green India Mission: National Afforestation Programme,
- 295 for Project Tiger.

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

- 530 for Development of Khadi, Village & Coir Industries.
- 485 for Technology Upgradation and Quality Certification
- 351 for Infrastructure Development Programme.

CONSUMER AFFAIRS

- 900 for Price Stabilization Fund.
- 94 for Consumer Protection.

SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

- 22500 for Sarva Shiksha Abhiyan.
- 9700 for National Programme of Mid Day Meals in Schools.
- 3700 for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.

HIGHER EDUCATION

- 5755 for Technical Education.
- 2050 for University Grants Commission.
- 1300 for Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan.

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

- 15860 for Integrated Child Development Services (ICDS).
- 500 for Nirbhaya Schemes.
- 400 for Integrated Child Protection Scheme.
- 307 for Protection and Empowerment of Women.
- 100 for Beti Bachao Beti Padhao Campaign.

सूचना प्रौद्योगिकी

- 1282 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और दूरसंचार तथा इलेक्ट्रनिकी उद्योगों (अम्ब्रेला कार्यक्रम) हेतु।
- 800 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हेतु (श्रi) प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने हेतु (ii) मजबूत, सार्वभौमिक और किफायती आनलाईन प्रमाणन सेवाएं देने हेतु (iii) आधार समर्थित अनुप्रयोग और भुगतान आदि सरल बनाने हेतु।

स्वास्थ्य

- 19000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- 2450 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेतु।
- 1500 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेतु।

आयुष

- 210 आयुर्वेद प्रणाली के विकास हेतु।
- 265 यूनानी प्रणाली के विकास हेतु।
- 400 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (आयुष प्रणाली) हेतु।

सूचना तथा प्रसारण

- 650 प्रसारण क्षेत्र के लिए।
- 125 विकास संचार के जरिए जनता का सशक्तीकरण।
- 13 जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय केंद्र खोलने के लिए।

शहरी विकास

- 7205 पुनरुद्धार और शहरी परिवर्तन हेतु स्मार्ट शहर और अटल मिशन (अमृत)।
- 10000 मेट्रो रेल परियोजनाओं में इक्विटी निवेश के लिए।
- 200 राष्ट्रीय विरासत शहरों के कार्यक्रम हेतु।
- 2300 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)।

सड़कें और राजमार्ग

- **55000 सड़कें और राजमार्ग**

जिसमें

- 12153 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश
- 15500 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल कार्य)
- 5000 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम।

विद्युत

- 3000 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हेतु।
- 5500 समेकित विद्युत विकास योजना हेतु।

पर्यटन

- 900 पर्यटन अवसंरचना विकास स्कीमें - प्रसाद, स्वदेश दर्शन हेतु।

वस्त्र

- 1480 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम हेतु।
- 700 ग्राम और लघुद्योग हेतु।
- 300 मेगा क्लस्टरों के विकास हेतु।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

- 2791 अनुसूचित जातिओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु।
- 885 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु।

निःशक्त मामले

- 130 विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता और उपकरणों हेतु
- 193 सुगम्य भारत अभियान हेतु।
- 113 विकलांगजनों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों हेतु।

INFORMATION TECHNOLOGY

- 1282 Digital India Programme and telecommunication and Electronic Industries (Umbrella Programme).
- 800 For Unique Identification Authority of India for (i) issue of unique identification numbers for every resident, (ii) providing robust, ubiquitous and cost effective online authentication services, (iii) facilitating Aadhaar-enabled applications and payments, etc.

HEALTH

- 19000 for National Health Mission.
- 2450 for Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.
- 1500 for Rashtriya Swasthya Suraksha Yojana.

AYUSH

- 210 for support to AYUSH System.
- 265 for Research and Development.
- 400 for National Health Mission (AYUSH System).

INFORMATION AND BROADCASTING

- 650 for broadcasting sector.
- 125 People's Empowerment through Development Communication.
- 13 opening up of four new Regional Centers of IIMC in J&K, Kerala, Maharastra, and Mizoram States.

URBAN DEVELOPMENT

- 7205 Smart Cities & Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation (AMRUT).
- 10000 for equity investment in Metro Rail Projects.
- 200 for National Heritage Cities Programme.
- 2300 Swacch Bharat Mission (Urban).

ROADS & HIGHWAYS

- **55000 Roads & Highways.**

of which

- 12153 Investment in National Highways Authority of India.
- 15500 National Highways (Original Works).
- 5000 Special Accelerated Road Development Programme for North East Region.

POWER

- 3000 for Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana.
- 5500 for Integrated Power Development Scheme.

TOURISM

- 900 for tourism infrastructure development schemes; PRASAD, Swadesh Darshan.

TEXTILES

- 1480 for Amended Technology Upgradation Fund Scheme.
- 700 for Village and Small Industries.
- 300 for Development of mega clusters.

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

- 2791 for Post-Matric scholarship for Scheduled Castes.
- 885 for Post-Matric scholarship for Other Backward Classes.

DISABILITY AFFAIRS

- 130 for Aids and Appliances for Handicapped.
- 193 for Sugamya Bharat Abhiyan.
- 113 for various National Institutes for Disabled Persons.

जनजातीय कार्य

- 1400 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक (I) के अंतर्गत स्कीम के लिए सहायता।
- 1250 जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता।
- 1200 अ.ज.जा. के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रेला योजना हेतु।
- 600 वन बंधु कल्याण योजना हेतु।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास

- 800 पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्कीमों हेतु।
- 700 संसाधनों के अत्यपगत केंद्रीय पूल हेतु (केंद्रीय)।

अल्पसंख्यक मामले

- 385 'नई मंजिल' हेतु (शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम)।
- 1395 पूर्व और मैट्रिक छात्रवृत्ति

गृह मंत्रालय

- 2540 सीमा प्रबंधन और विकास कार्यक्रम।
- 150 मोबाइल वाहनों और नियंत्रण कक्षों द्वारा पीड़ितों से विपत्ति संकेतों के बैकएंड समेकन हेतु (निर्भया कोष से)।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 4000 विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु।
- 2300 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान हेतु।
- 1600 जैव प्रौद्योगिकी हेतु।

अंतरिक्ष

- 4200 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों हेतु।
- 843 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु।
- 796 इनसेट उपग्रह प्रणाली।

नागर विमानन

- 1700 एयर इंडिया लि. में इक्विटी के निषेचन हेतु।

परमाणु ऊर्जा

- 3122 अनुसंधान और विकास हेतु।
- 2778 उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु।
- 9860 परमाणु विद्युत स्कीमों हेतु (आ.ब.बा.सं. सहित)।

पृथ्वी विज्ञान

- 360 प्रचालनात्मक मौसम सेवाओं और मानसून के पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए वायुमंडलीय सर्वेक्षण प्रणाली नेटवर्क में संवर्द्धन, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए।
- 355 विभिन्न क्षेत्रों में हिंद महासागर और महासागरीय परामर्शदारी में महासागरीय सर्वेक्षणात्मक नेटवर्क और सूत्र की और तूफानों के समुद्री नायदा की चेतावनी जारी करना।

खेल

- 350 राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण अभियान।
- 215 'खेलो इंडिया' के लिए।

राष्ट्रीय कला संस्कृति विकास

- 300 कला संस्कृति विकास योजना के लिए।

रसायन और पेट्रो-रसायन

- 120 रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगों के संवर्द्धन के लिए।

भेषज

- 100 8 राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (निपेर) और 3 नए निपेर को खोलना।
- 35 जन औषधि हेतु।

TRIBAL AFFAIRS

- 1400 for Assistance for scheme under provisio (I) of Article 275 (1) of the Constitution.
- 1250 for Special Central Assistance to Tribal Sub-plan.
- 1200 for Umbrella Scheme for Education of ST children.
- 600 for Van Bandhu Kalyan Yojana.

DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

- 800 for Schemes of North Eastern Council.
- 700 for Non Lapsable Central Pool of Resources (Central).

MINORITY AFFAIRS

- 385 for 'Nai Manzil' (Education and Livelihood Programme).
- 1395 for Pre and Post Matric scholarship.

HOME AFFAIRS

- 2540 for Border Management and Development Programme.
- 150 for backend integration of distress signal from victims with mobile vans and control rooms (from Nirbhaya fund).

SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 4000 for Science & Technology.
- 2300 for Scientific and Industrial Research.
- 1600 for Biotechnology.

SPACE

- 4200 for Space Technologies.
- 843 for Space Applications.
- 796 for INSAT Satellite System.

CIVIL AVIATION

- 1700 for equity infusion in Air India Limited.

ATOMIC ENERGY

- 3122 for Research and Development.
- 2778 for Industrial and Mineral Sector Projects.
- 9860 for Nuclear Power Schemes (inclusive of IEBR).

EARTH SCIENCES

- 360 for augmentation, operation and maintenance of Atmospheric Observation Systems Network to improve operational weather services and monsoon forecast.
- 355 for ocean observational networks in the Indian Ocean and Ocean advisory in various sectors and issue of warning of ocean disasters of Tsunami and Storm surges.

SPORTS

- 350 for Rashtriya Yuva Sashaktikaran Abhiyan.
- 215 for 'Khelo India'.

RASHTRIYA KALA SANSKRITI VIKAS

- 300 for Kala Sanskriti Vikas Yojana.

CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

- 120 for promotion of Chemical and Petrochemical Industries.

PHARMACEUTICALS

- 100 for 8 National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) and opening of 3 New NIPER.
- 35 for Jan Aushadhi.

उद्योग

- 1400 दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना हेतु।
- 200 निवेश संवर्धन/मेक इन इंडिया हेतु।
- 300 भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम हेतु।

डाक

- 150 भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए।
- 300 मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए।

वित्त

- 25000 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पुंजीकरण हेतु।
- 1500 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के लिए।
- 900 मुद्रा बैंक के लिए।
- 600 इंडिया एस्पोरेशन फंड के लिए।
- 500 नाबार्ड के लिए।
- 450 आम आदमी बीमा योजना के लिए।
- 200 अटल पेंशन योजना के लिए।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार

- 2250 पवित्र गंगा की सफाई हेतु नमामी गंगे
- 660 जल संसाधन विकास के लिए।
- 250 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए।

नवीकरणीय ऊर्जा

- 4000 सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए।
- 400 पवन ऊर्जा कार्यक्रम के लिए।

(वास्तविक लक्ष्य)

उर्वरक

- 237.89 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन लक्षित।
- 176.81 लाख मीट्रिक टन फोसफेटिक उर्वरक उत्पादन लक्षित।

कोयला और लिग्नाइट

- 724.70 मि.टन वर्ष 2016-17 के दौरान कोयले की घरेलू उपलब्धता आंकी गई है, जो कोल इंडिया लि. और अन्य से पूरा करने का अनुमान है।
- 26.80 मिलियन टन लिग्नाइट उत्पादन का अनुमान वर्ष 2016-17 के दौरान ।

इस्पात

- 29.00 मिलियन टन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।
- 19.07 मिलियन टन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. द्वारा विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

- 12000 मेगावाट सौर विद्युत।
- 4100 मेगावाट पवन ऊर्जा।

रेलवे

- 1500 किलोमीटर ट्रैक का नवीकरण।
- 2000 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण।
- 800 किलोमीटर का गेज परिवर्तन।
- 400 किलोमीटर नई लाइनें।
- 1600 किलोमीटर डबल लाइन करना।
- 747 अतिरिक्त लोकोमोटिव विनिर्माण।

INDUSTRY

- 1400 for Grants to Delhi Mumbai Industrial Corridor Project.
- 200 for Investment Promotion/ Make in India.
- 300 for Indian Leather Development Programme.

POSTS

- 150 for India Posts Payment Bnak.
- 300 for Mechanisation and Modernisation.

FINANCE

- 25000 for recapitalisation of Public Sector Banks.
- 1500 for Pradhan Mantri Mudra Yojana.
- 900 for Mudra Bank.
- 600 for India Aspiration Fund.
- 500 for NABARD.
- 450 for Aam Admi BIma Yojana.
- 200 for Atal Pension Yojana.

WATER RESOURCES RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

- 2250 for Namami Gange for cleaning of the Holy Ganga.
- 660 for Water Resource Management.
- 250 for National River Conservation Plan.

RENEWABLE ENERGY

- 4000 for Solar Energy Programme.
- 400 for Wind Energy Programme.

(Physical Targets)

FERTILIZER

- 237.89 lakh MT of Nitrogenous Fertiliser production targeted.
- 176.81 lakh MT of Phosphatic Fertiliser production targeted.

COAL AND LIGNITE

- 724.70 Million tones of domestic production of Coal has been estimated during 2016-17, which is projected to be met from Coal India Limited and others.
- 26.80 Million tones of Lignite production estimated during 2016-17.

STEEL

- 29.00 million tonnes of Iron ore production targeted by National Mineral Development Corporation Ltd.
- 19.07 million tones of saleable steel production by Steel Authority of India Ltd. and Rashtriya Ispat Nigam Ltd. targeted.

NEW AND RENEWABLE ENERGY

- 12000 MW Solar power.
- 4100 MW Wind Energy.

RAILWAYS

- 1500 kilometers of track renewal.
- 2000 kilometers of electrification.
- 800 kilometers of gauge conversion.
- 400 kilometers of new lines.
- 1600 kilometers of Doubling.
- 747 locos additional manufacture.